।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जी.आर.पी. अजमेर राजस्थान ।।

क्रमांक :–न–5( )रेलफोर्स/कानि0भर्ती–23/2024/2493-2510 दिनांक :– 14.05.2025

–:आदेश:–

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक न–5(15)पु.फो./कानि0भर्ती–23/2023/3346 दिनांक 03.08.2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 3363 दिनांक 04.08.2024 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 एवं पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 04/2023 में निहित प्रावधानानुसार जीआरपी अजमेर में कानिस्टेबल चालक पद के लिये विज्ञापित 12 पदों **{सामान्य–5 (महिला–1, पुरूष–3, भू0पू0 सैनिक–1), एससी पुरूष–3, एसटी–0, ओबीसी पुरूष–3, एमबीसी–0, ईडब्ल्युएस पुरूष–1}** की पूर्ति हेतु समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी लेवल)–2022 के आवेदकों में से विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरियता/मैरिट क्रम में 15 गुणा अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता (दौड़) एवं मापतौल परीक्षा के लिये ऑनलाईन प्रवेश–पत्र जारी किये जाकर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 4675 दिनांक 10.11.2023 द्वारा गठित बोर्ड (महानिरीक्षक पुलिस, रेल्वेज, राजस्थान जयपुर–अध्यक्ष चयन बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, जीआरपी अजमेर–सदस्य सचिव, पुलिस अधीक्षक, जिला ब्यावर–मनोनीत सदस्य) द्वारा दिनांक 28.12.2023 को ग्रुप केन्द्र प्रथम, सीआरपीएफ, गुलाब बाड़ी रोड़, अजमेर में शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा का आयोजन किया गया।

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन दिनांक 13.06.2024 से 14.06.2024 तक किया गया। चयन बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सफल अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा (Proficiency test) का आयोजन दिनांक 23.09.2024 को रिजर्व पुलिस लाईन, अजमेर में किया जाकर रिक्त पदों के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक न–5(01)पु.फो./कानि0भर्ती–23/2024/3426 दिनांक 09.10.2024 द्वारा चयन सूची का अनुमोदन किया गया। चयन सूची पर लिये गये 12 अभ्यर्थियों का इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 228–36 दिनांक 11.01.2025 द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिनांक 12.01.2025 को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। निर्धारित तिथि तक 11 अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति पर उपस्थिति दी गई। 01 अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति नही देने पर, उपस्थिति देने हेतु इस कार्यालय समसंख्यक पत्रांक 357 दिनांक 16.01.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया। अभ्यर्थी को नोटिस प्राप्त होने पर स्वंय का कनिष्ठ लेखाकार के पद पर चयन होना तथा जीआरपी अजमेर में कानि. चालक पद पर नियुक्ति नही चाहने हेतु नोटिस पर ही लिखित में दिया गया। इस कारण उक्त अभ्यर्थी के इस कार्यालय आदेश क्रमांक 601 दिनांक 22.01.2025 द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त किये गये। अन्यत्र नियोजन के कारण रिक्त रहे 01 पद पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नती बोर्ड, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 580 दिनांक 19.02.2025 द्वारा रिव्यू बोर्ड का गठन किया जाकर दिनांक 20.03.2025 को रिव्यू चयन बोर्ड की बैठक का आयोजन किया जाकर रिव्यू की कार्यवाही सम्पादित की गई। जिसका अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नती बोर्ड, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 1067 दिनांक 20.03.2025 द्वारा अनुमोदन किया गया।

तदउपरांत इस कार्यालय के समसंख्यक प्रेस नोट क्रमांक 1579–91 दिनांक 21.03.2025 द्वारा रिव्यू परीक्षा परिणाम जारी कर चयनित 01 अभ्यर्थी **(ओबीसी पुरूष–1)** को दिनांक 27.03.2025 को स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने हेतु मय मूल दस्तावेज एवं की छाया प्रति सहित जीआरपी लाईन अजमेर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य पाये जाने एवं चरित्र सत्यापन/शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/विशेष योग्यता, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि के मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–15(1)एफडी/(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के नियम–16 शैड्यूल–iv के प्रावधानानुसार रूपये 14600/– (अक्षरे चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह पर इन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये कानिस्टेबल चालक (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की राशि राज्य सेवा में उपस्थिति/कार्यग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षा काल में अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा। इस अवधि में सामान्य प्रावधायी निधी आदि की कटौती नियमानुसार होगी। इनकी वरिष्ठता मूल चयन सूची के अनुसार रहेगी। इनका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	रोल नं0	नाम अभ्यर्थी	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शिक्षा	स्थायी पता	जाति	वर्ग	मेरिट क्रमांक	चयनित वर्ग	लिंग	PST Measurement			बैल्ट नं0
												Height (168 cm)	Chest Normal (81 cm)	Chest Expended (86 cm)	
1.	1017239	श्री भगवान	श्री रामकरण	01.07.1989	बी.ए.	बाबा रामदेव मोहल्ला, नदी प्रथम सराधना, मु.पो. सराधना, तहसील एवं जिला अजमेर।	कहार	ओबीसी	8	ओबीसी–3	पुरूष	168	90.4	97.8	656

कानिस्टेबल चालक पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन होगीः—

1. यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम—1989, राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा समय—समय पर जारी आदेश व शर्तों के अध्यधीन है।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ—15(1)एफडी/(नियम)/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के शैड्यूल— iv (Rule No. 16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार उक्त अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नियमानुसार 15 दिन आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेखे में जमा नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम—1951 के नियम—103ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।
4. दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ—15(1)एफडी/(नियम) /2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे—मैट्रिक्स लेवल—5, सेल—1 में नियमित वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कटौतियां की जायेगी। अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में वर्तमान में प्रचलित नियम/परिपत्र लागू होंगे।
5. राज्य सरकार के आदेश संख्या—एफ 12 (3) एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, जो नियमानुसार प्रभावी होगी।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—5 (5) एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021, आदेश संख्या—5 (5) एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 पार्ट—2 दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 व 19.04.2022 में वर्णितानुसार आर.जी.एच.एस. योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
7. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ—13 (3) एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001, आदेश संख्या—प—7(1) कार्मिक/क—2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने के तथ्य सामने आते हैं तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
8. विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नि रखने, आपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों में विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरूद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से इनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जावेगा।
9. **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कानिस्टेबल भर्ती 2023 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 3346 दिनांक 03.08.2023 के बिन्दु संख्या—18 (ii) में अंकितानुसार यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुये नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जायेगी।**
10. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम 1989 के नियम 22बी(1) के तहत 50/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर एक बन्ध—पत्र कलेक्टर/सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बन्ध पत्र के अनुसार जीआरपी अजमेर में प्रशिक्षण अवधि के बाद 02 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। इस अवधि से पूर्व अन्य नियोजन स्वीकार करने/त्याग पत्र देने पर राजस्थान सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानुसार वास्तविक प्रशिक्षण खर्च की राशि एवं प्राप्त किये गये वेतन भत्तों की राशि को राजकोष में जमा करवाना होगा। ड्यूटी से फरार होने पर बिना किसी नोटिस के राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है। (बॉन्ड का प्रारूप संलग्न है)
11. उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी (i) दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े, (ii) मैस एडवान्स एवं कैन्टीन एडवांस राशि 4000/— रूपये (iii) कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 2600/— रूपये (iv) 05 पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटोग्राफ (v) संलग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार बन्ध पत्र, शपथ—पत्र साथ लेकर दिनांक 20.05.2025 तक अपनी उपस्थिति जीआरपी लाईन, कचहरी रोड, अजमेर में देंगे। निश्चित तिथि तक उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में यह समझा जायेगा की आप नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं एवं नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के पश्चात ही सेवा अभिलेख में उसकी प्रविष्ठी की जायेगी, तब तक शैक्षणिक योग्यता तदर्थ आधार पर मानी जायेगी।
13. प्रशिक्षण काल के दौरान इन्हें अग्रिम अध्ययन/प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
14. ड्यूटी ज्वाईनिंग के प्रयोजनार्थ इन्हें किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. कॉन्स्टेबल चालक पद पर उपस्थिति दिनांक से पूर्व यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य परीक्षा हेतु आवेदन किया हुआ हो तो इसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय में भिजवावें।

संलग्न :— बॉन्ड प्रारूप

ई.ओ.बी. नं. 121 /2025

(नरेन्द्र सिंह)
I.P.S.
पुलिस अधीक्षक
जीआरपी अजमेर राज0

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड/प्रशिक्षण/रेल्वेज, राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय/रेल्वेज, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जीआरपी अजमेर।
4. संचित निरीक्षक, जीआरपी लाईन अजमेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त रिक्रूट कानि0 के उपस्थिति देने पर इनसे निर्धारित प्रपत्र में बॉन्ड प्राप्त कर मय ड्यूटी ज्वाईनिंग रिपोर्ट इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त शाखा प्रभारी, कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस आदेश को अविलम्ब विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
7. ई.ओ.बी./पीएफ।
8. सेवा पुस्तिका लिपिक, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त रिक्रूट कानि. की सेवा पुस्तिका तैयार कर नियुक्ति आदेश का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित अभ्यर्थी श्री भगवान पुत्र श्री रामकरण, निवासी– बाबा रामदेव मोहल्ला, नदी प्रथम सराधना, मु.पो. सराधना, तहसील एवं जिला अजमेर।

पुलिस अधीक्षक
जीआरपी अजमेर राज0